न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी श्री [illegible] (आर0ए0एस0)

तारीख फैसला

मुकदमा नम्बर [illegible] / 2011

तारीख दायर [illegible] 2011

राजस्व

01. [illegible]
02. विनोद पुत्रान रामसिंह
03. श्रीमती [illegible] देवी बेवा रामसिंह
04. दयाराम पुत्र रामजीलाल
05. श्रीमती कलावती देवी बेवा हुकमसिंह
06. [illegible] पुत्र हुकमसिंह
07. निर्मला
08. लाली पुत्रीयान हुकमसिंह
09. देवेन्द्र कुमार पुत्र हुकमसिंह जाति अहीरान निवासीगण ग्राम बिरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

.........॥ वादीगण

बनाम

01. श्रीमान तहसीलदार साहब तिजारा (भूमिधारी अधिकारी) तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

.........॥ प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

॥ निर्णय ॥

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा इस्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम [illegible] तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) है जिसमें से 0.32 है0 भूमि इस दावे में विवादित आराजी कहलावेगी। जो साबिक आराजी खसरा नम्बर 192 व 193 से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाया गया है। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबन्दी संवत् 2020 मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी संवत् 2022 संलग्न दावा पत्र है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 192 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा के मालिक खातेदार नत्थू वल्द सुखा व छज्जू वल्द गंगासहाय जाति स्वामी निवासी तिजारा थे। जिन्होंने उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता व दादा रामजीलाल पुत्र नन्दू व हुकम वल्द [illegible] जाति अहीर निवासी बिरामपुर ने जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 06.07.1963 को प्रतिफल अदाकर बाजाप्ता बाकब्जा खरीद की थी और तबसे खरीद से ही वादीगण के दादा व पिता की उक्त आराजी कब्जा काश्त खातेदारी की रही तथा उनकी मृत्यु के बाद हम वादीगण की उक्त आराजी कब्जा काश्त खातेदारी की रही है तथा मौके पर आज भी हम वादीगण का कब्जा काश्त है। आराजी खरीद के बाद

नामान्तकरण सख्या 31 जोकि वादीगण के पिता व दादा दर्ज व स्वीकार [illegible] गया। जबकि साबिक आराजी खसरा नम्बर 192 व 193 में हाल आराजी खसरा नम्बर 76 व 77 में ता [illegible] खातेदारी का दर्ज कर दिया लेकिन आराजी खसरा नम्बर 78 वाके ग्राम बालियावास तहसील तिजारा में हम वादीगण को 0.32 है0 का गैर खातेदार का अंकन राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है। वास्ते मुलाहिजा नकल नामान्तकरण व बयनामा संलग्न वाद पत्र है। उक्त आराजी हमेशा से ही हम वादीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी रही है तथा गैरखातेदारी का अंकन रहने से हम वादीगण के हक व हकूकों पर भारी कुठाराघात होता है इसलिए हम वादीगण कानूनन बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ भी कानून अपने आपको खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में जो अमल गैरखातेदारी का चला रहा है उसे हजफ कराकर कानून अपने नाम शेष रकबा 0.32 है0 हाल खसरा नम्बर 78 वाके ग्राम बालियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। राज्य सरकार तहसीलदार के विरूद्व है जिसको कानून धारा 80 जा0दी0 का 2 माह का रजि0 नोटिस भी तहसीलदार तिजारा को दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी हम वादीगण के नाम प्रतिवादी द्वारा वादीगण के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं किया गया है। उक्त गलत इन्द्राज के रहने से हम वादीगण के हकूकों पर भारी कुठाराघात होता है और उक्त गलत इन्द्राज का ज्ञान हम वादीगण को माह अगस्त 2010 में हुआ। उसके पश्चात दिनांक 01.09.2010 को 2 माह का कानूनी नोटिस प्रतिवादी को दिया गया, जो तारीख दावा हाजा के लिए बिनायेदावी, बिनाये मुखासमत से पैदा होकर दावा हाजा पेश करना लाजिम आया है तथा जो इन्द्राज हम वादीगण का आराजी खसरा नम्बर 78 में रकबा 0.32 है0 का वाके ग्राम बालियावास तहसील तिजारा का गलत इन्द्राज आया है उसे हम वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है तथा उक्त गलत इन्द्राज हम वादीगण के हकूकों के विरूद्व बातिल वो बेअसर है व नाकाबिले पाबन्दी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया तथा जवाब पेश करने का अवसर प्रदान किया। प्रतिवादी पैरोकार तहसीलदार तिजारा ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की साक्ष्य ली जाकर बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। साबिक रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर खातेदारी में दर्ज था परन्तु हाल खसरा नम्बर 78 में वादीगण को सहवन गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया है वादीगण गैर खातेदार के स्थान पर खातेदारी का अंकन कराने के अधिकारी पाये जाते है।

अतः दावा वादीगण डिकी किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम बालियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) में से 0.32 है0 पर वादीगण को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
28/2011	28-01-2011	04/8/2020

उनवान

01. महेन्द
02. विनोद पुत्रान रामसिंह
03. मु0 लाली देवी बेवा रामसिंह
04. दयाराम पुत्र रामजीलाल
05. मु0 कलावती देवी बेवा हुकमसिंह
06. नवलसिंह पुत्र हुकमसिंह
07. बिमला
08. लाली पुत्रीयान हुकमसिंह
09. देवेन्द्र कुमार पुत्र हुकमसिंह जाति अहीरान निवासीगण ग्राम बिरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: वादीगण

बनाम

01. श्रीमान् तहसीलदार साहब तिजारा (भूमिधारी अधिकारी) तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: पर्चा डिक्री ::-

जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम बालियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) में से 0.32 है0 पर वादीगण को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)